न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 84/2025

1 गोरधनराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 तोलाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 मामराज पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 कालूराम गोदारा पुत्र गोरधनराम गोदारा जाति जाट निवासी ग्राम गिरवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 बेगाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 प्रमेश्वर लाल गोदारा पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू .
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर (चूरू)
4 उप पंजीयक महो., उप पंजीयन कार्यालय कातर छोटी तह: बीदासर जिला चूरू
5 उप पंजीयक महो., उप पंजीयन कार्यालय बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

..............प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादीगण – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1, 2 अख्तर सोलंकी एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 3 – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 7/7/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खाता नम्बर 154 खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 6.8923 हैक्टेयर (27–05 बीघा) वाके रोही गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है वादगत भूमि सम्पति खेत में वादी स. 1 गोरधनराम का 17659/68923 हिस्सा, वादी स. 2 तोलाराम का 22717/68923 हिस्सा, वादी स. 3 मामराज का 22717/68923 हिस्सा, वादी स. 4 कालु राम गोदारा का 5058/68923 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 1 बेगाराम का 386/68923 हिस्सा, प्रतिवादी स. 2 प्रमेश्वर लाल गोदारा का 386/68923 हिस्सा रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अपने अपने हिस्सा भूमि की अलग अलग पुख्ता पक्की सीवें कायम है तथा प्रत्येक हिस्सेदार के आवागमन का रास्ता कायम है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा पांती में रिहायसी मकानात व ढ़ाणीया बना रखी है जिसमें निवास कर अपनी अपनी हिस्सा भूमि काश्त करते है। वादगत भूमि सम्पति का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने संलग्न नजरी नक्शा में वर्णितानुसार विभाजन कर रखा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है तथा वादगत खेत को भी अलग अलग ही

लगातार......2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार अपनी अपनी हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। वादगत खेत. खसरा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 सींवों को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादीगण अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के खेत में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहते है जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण का वादगत खेत किये हूए विभाजन के अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादगत भूमि सम्पति में प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि दक्षिणी पूर्वी कोने में कटाणी तरफ के कटाणी मार्ग पर खुलती हैं जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है. जिनकी रिहायसी ढ़ाणी मकान बने हूए है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का रेकार्डेड हिस्सा एवं मुताबिक कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 100 संयुक्त खातेदारी में चला आ रहा है हम जहां चाहे कब्जा करेगे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादीगण शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादीगण ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 05–06–2025 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का मुताबिक रेकार्डेड हिस्सा, कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवा देवें तथा हम वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 02 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेतों में जहां चाहे कब्जा करके पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादीगण असमर्थ है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैंय आदि नहीं करें ना ही वादीगण के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा नां वादीगण को उसके हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करें। वादगत भूमि वाके रोही गेवरसर में वादीगण द्वारा किये गये हिस्सा पांती अनुसार कब्जा काश्त होने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर वादीगण को सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 05–06–2025 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादीगण बहक प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने के वावजूद भी भू धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर एवं अति. तहसीलदार

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

कातर छोटी को पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रस्तुत दावे में दो माह का पूर्व नोटिस देने से छूट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रस्तुत किया जाकर दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है वादीगण का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेघाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जायें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 6.8923 हैक्टेयर (25—05 बीघा) वाके रोही गेवरसर तहसील बीदासर में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 ता 2 का पांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावें की वादगत खेत का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी देवे और न ही वादीगण को उनके हिस्से पांती की भूमि से जबरन बेदखल करें। ना ही प्रतिवादीगण कोई ऐसा तर्क या तर्क फैल स्वयं करें या अपने एजेन्ट से करवाये जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। प्रतिवादी सख्या 3 को आदेश फरमाया जावे की वोह मुताबिक न्यायालय निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगणं से दिलवाया जावे, अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण को दिलवाया जावे आदि आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 236/06/2025 को वादीगण के मिशल पैशी पर लेने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली मिशल पेशी में ली गई, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री अख्तर सोलंकी ने वकालतनामा मय राजीनामां, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। राजीनामा मय नजरी नक्शा बाद जांच शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 2 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई। प्रकरण में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। राजीनामा में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार विभाजन एवं रेकार्ड दुरूसिति का निवेदन किया गया है।

लगातार......4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

आदेश

वादीगण का वाद बाबत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी इस प्रकार किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 6.8923 हैक्टेयर वाके रोही गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में से वादी स. 1 गोरधनराम, 2 तोलाराम, 3 मामराज पि. भोमाराम के नजरी नक्शा में अंकितानुसार उतरी पूर्वी पाखी जो नक्शा में अंकित रास्ता के उतरी तरफ की मिन तादादी 0.0072 हैक्टेयर व रास्ता के दक्षिणी तरफ की मिन तादादी 0.0972 हैक्टेयर वादी स. 1, 2, 3 के व. हि. बराबर संयुक्त खातेदारी में रहेगी व वादगत खेत खसरा में से दक्षिणी पश्चिमी पाखी की भूमि मिन तादादी 1.6741 हैक्टेयर वादी सख्या 1 गोरधनराम के हिस्सा पांती में व वादगत खेत मे से उतरी पश्चिमी पाखी की भूमि मिन तादादी 2.1799 हैक्टेयर प्रतिवादी सख्या 2 तोलाराम के हिस्सा पांती में रहेगी, वादगत खेत में से नजंरी नक्शा में अंकितानुसार प्रतिवादी स. 4 कालूराम गोदारा के पश्चिमी तरफ की व दक्षिणी तरफ की भूमि मिन तादादी 2.1799 हैक्टेयर प्रतिवादी स. 3 मामराज के हिस्सा पांती मे रहे तथा वादगत खसरा भूमि में से उतरी पूर्वी कोने की भूमि मिन तादादी 0.5058 हैक्टेयर वादी स. 4 कालूराम गोदारा के हिस्सा पांती में रहेगी व वादगत खेत खसरा में से दक्षिणी पूर्वी पाखी में प्रतिवादी स. 1 बेगाराम की हिस्सा भूमि मिन तादादी 0.0386 हैक्टेयर प्रतिवादी स. 2 प्रमेश्वर लाल गोदारा के उतरी तरफ की कटाणी सड़क मार्ग पर अगूण मुखी व प्रतिवादी सं. 2 प्रमेश्वर लाल गोदारा की हिस्सा भूमि मिन तादादी 0.0386 हैक्टेयर प्रतिवादी स. 1 के दक्षिणी तरफ की कटाणी सड़क मार्ग पर खुलती हिस्सा में रहेगी, प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की भूमि का पूर्वी तरफ का फन्ट इक्यासी फुट लम्बाई का रहेगा। इस प्रकार वादी स. 1, 2, 3 की संयुक्त हिस्सेदारी हिस्सा भूमि एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाये तथा आवागमन हेतू रास्ता नक्शा में अंकितानुसार कटाणी मार्ग से चलकर प्रतिवादी सख्या 4 कालूराम गोदारा की पहूच तक रहेगा जिसकी भूमि मिन तादादी 0.1710 हैक्टेयर जो वादी गोरधनराम, तोलाराम, मामराज के वर्तमान राजस्व हिस्सा से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। राजीनामा व नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा। इस बाबत तहरीर प्रतिवादी सख्या 3 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7 / 7 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम........बीदासर जिला चूरू ....व
इजलास.............पीठासीन अधिकारी............ श्री अगीलाल यादव R.A.S.

गोरधनराम आदि बनाम बेगाराम आदि

दावा बाबत ....घोषणा, रेकार्ड दुरूरित, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 84/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री अख्तर सोलंकी, पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ..... वाद बावत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी इस प्रकार किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 100 रक़बा 6.8923 हैक्टेयर याके रोढी गेवररार तहसील बीदासर जिला चूरू में से वादी स. 1 गोरधनराम, 2 तोलाराम, 3 मामराज पि. भोमाराम के नजरी नक्शा में अंकितानुसार उतरी पूर्वी पाखी जो नक्शा में अंकित रास्ता के उतरी तरफ की मिन तादादी 0.0072 हैक्टेयर व रास्ता के दक्षिणी तरफ की मिन तादादी 0.0972 हैक्टेयर वादी स. 1, 2, 3 के ब. हि. बराबर संयुक्त खातेदारी में रहेगी व वादगत खेत खसरा में से दक्षिणी पश्चिमी पाखी की भूमि मिन तादादी 1.6741 हैक्टेयर वादी सख्या 1 गोरधनराम के हिस्सा पांती में व वादगत खेत मे से उतरी पश्चिमी पाखी की भूमि मिन तादादी 2.1799 हैक्टेयर प्रतिवादी सख्या 2 तोलाराम के हिस्सा पांती में रहेगी, वादगत खेत में से नजरी नक्शा में अंकितानुसार प्रतिवादी स. 4 कालूराम गोदारा के पश्चिमी तरफ की व दक्षिणी तरफ की भूमि मिन तादादी 2.1799 हैक्टेयर प्रतिवादी स. 3 मामराज के हिस्सा पांती मे रहे तथा वादगत खसरा भूमि में से उतरी पूर्वी कोने की भूमि मिन तादादी 0.5058 हैक्टेयर वादी स. 4 कालूराम गोदारा के हिस्सा पांती में रहेगी व वादगत खेत खसरा में से दक्षिणी पूर्वी पाखी में प्रतिवादी स. 1 बेगाराम की हिस्सा भूमि मिन तादादी 0.0386 हैक्टेयर प्रतिवादी स. 2 प्रमेश्वर लाल गोदारा के उतरी तरफ की कटाणी सड़क मार्ग पर अगूण मुखी व प्रतिवादी स. 2 प्रमेश्वर लाल गोदारा की हिस्सा भूमि मिन तादादी 0.0386 हैक्टेयर प्रतिवादी स. 1 के दक्षिणी तरफ की कटाणी सड़क मार्ग पर खुलती हिस्सा में रहेगी, प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की भूमि का पूर्वी तरफ का फ्रन्ट इक्यासी फुट लम्बाई का रहेगा। इस प्रकार वादी स. 1, 2, 3 की संयुक्त हिस्सेदारी हिस्सा भूमि एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाये तथा आवागमन हेतू रास्ता नक्शा में अंकितानुसार कटाणी मार्ग से चलकर प्रतिवादी सख्या 4 कालूराम गोदारा की पहूच तक रहेगा जिसकी भूमि मिन तादादी 0.1710 हैक्टेयर जो वादी गोरधनराम, तोलाराम, मामराज के वर्तमान राजस्व हिस्सा से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। राजीनामा व नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा। इस बाबत तहरीर प्रतिवादी सख्या 3 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

फीस ....—......... मुबलिग..........—..........बाबत ....—.................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........—.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वंसूलयाबी तक ....
.............................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 7 माह 7 2025

मुहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर